

प्रकरण संख्या 188/2017 D.N: 429

वंशीलाल ब्राह्मण

बनाम बालुलाल कुम्हार वर्ग 28

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक—

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री वंशीलाल ब्राह्मण ने जरिये प्राथी श्री सधेश्याम शर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल, खाते की भूमि ग्राम जोजवा प0ह0 जोजवा तह0 माण्डलगढ में आण्डलगढ आ. न. 1079

किता 1 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आराजीयात का विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करा साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्राथी आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसीयान के विवाद का शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया ग्राम जोजवा की आराजी न0 1079

रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाये कमीशनर फीस 350 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्राथी मौके पर अदा करेगा पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनाथ तहसिल माण्डलगढ को लिखा जाये।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ